

राजस्थान सरकार

निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्त भवन , "ए " ब्लॉक, जनपथ , जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल aao1.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- एफ .1 (ई)/अलेसे II/ लिंक न . 2688 / 3027

दिनांक :- 26/02/2024

आदेश

श्री /श्रीमती / सुश्री करण सिंह राठौड [लिंक नं. 2688] सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम कार्यालय अधिशाषी अभियंता, विद्युत खण्ड प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर - [15206] जिनकी जन्म तिथि 15/01/1970 है, का दिनांक 25/01/2024 को निधन हो जाने के कारण इन्हें दिनांक 25/01/2024 से राजकीय सेवा से पृथक किया जाता है।

वित्त (नियम) विभाग द्वारा जारी परिपत्र क्रमांक प . 12(6)वित्त/नियम/2008 दिनांक 24/03/2015 के क्रम में यह प्रमाणित किया जाता है कि स्वर्गीय श्री करण सिंह राठौड के विरुद्ध :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 के अंतर्गत कोई विभागीय जांच विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 19 के अंतर्गत कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/ लम्बित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/ लम्बित नहीं हैं।


(भूपेश माथुर)

निदेशक एवं पदेन संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक :- एफ .1 (ई)/अलेसे II/ लिंक न . 2688 / 3027

दिनांक :- 26/02/2024

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स कल्याण विभाग ,क्षेत्रीय कार्यालय जोधपुर।
3. अधिशाषी अभियंता, विद्युत खण्ड प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि स्व. श्री करण सिंह राठौड सहायक लेखाधिकारी ग्रेड - प्रथम के परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र प्राप्त कर शीघ्र भिजवाने का श्रम करें।
4. कोषाधिकारी (शहर) जोधपुर
5. श्री दर्शन सिंह राठौड पुत्र स्व. श्री करण सिंह राठौड, सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-प्रथम, 6/75, के.के. कॉलोनी बासनी प्रथम फेस, जोधपुर को प्रेषित कर लेख है कि यदि आप अथवा आपके परिवार का कोई सदस्य राजस्थान राज्य मृतक सरकारी कर्मचारी के आश्रित कों अनुकम्पा नियुक्ति नियम 1996 के अंतर्गत नियुक्ति लेने का इच्छुक हो तो निर्धारित प्रपत्र में आवेदन पत्र अधिशाषी अभियंता, विद्युत खण्ड प्रथम, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जोधपुर के माध्यम से निर्धारित अवधि में भिजवाने का श्रम करें।
6. निजी सचिव, निदेशक
7. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
8. रक्षित पत्रावली / पदस्थापन सीट / वरिष्ठता सीट / ए सी आर शाखा



(राजेन्द्र प्रसाद रैगर)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक I)